

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर (आरा), सहरसा, बांका एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक- 29.11.2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,45,83,000/- (दो करोड़ पैतालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,45,83,000/- (दो करोड़ पैतालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:-

क्र० स०	इंकाइ मद	जिला का नाम				योग
		भोजपुर (आरा)	सहरसा	बांका	मुंगेर	
1	हेलाप	33,00,000	40,00,000	80,00,000	0	153,00,000
2	जोवन यापन भत्ता	25,00,000	3,50,000	7,00,000	0	35,50,000
3	मकान किराया भत्ता	12,00,000	3,00,000	4,00,000	0	19,00,000
4	परिवहन भत्ता	1,00,000	0	0	0	1,00,000
5	चिकित्सा भत्ता	2,00,000	80,000	1,00,000	0	3,80,000
6	अन्य भत्ता	20,000	15,000	10,000	0	45,000
8	यात्रा व्यय	50,000	0	60,000	60,000	1,70,000
9	कार्यालय व्यय	0	0	1,00,000	4,00,000	5,00,000
10	वा० का ई० एवं रख-रखाव	15,00,000	0	2,00,000	5,00,000	22,00,000
11	दूरभाष व्यय	1,50,000	0	30,000	0	1,80,000
12	विद्युत प्रभार	1,00,000	0	30,000	0	1,30,000
13	वर्दी / पोशाक	50,000	0	0	0	50,000
14	किराया, महसूल कर	28,000	0	0	0	28,000
15	प्रकाशन एवं मुद्रण	50,000	0	0	0	50,000
कुल योग-		92,48,000	47,45,000	96,30,000	9,60,000	245,83,000


(दो करोड़ पैतालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयाँ का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

कृ०पृ०उ०

6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन


(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

सीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर (आरा), सहरसा, बांका एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक- 2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,45,83,000/- (दो करोड़ पैतालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,45,83,000/- (दो करोड़ पैतालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:-

क्र.सं.	इकाई मद	जिला का नाम				योग
		भोजपुर (आरा)	सहरसा	बांका	मुंगेर	
1	वेतन	33,00,000	40,00,000	80,00,000	0	153,00,000
2	जीवन यापन भत्ता	25,00,000	3,50,000	7,00,000	0	35,50,000
3	मकान किराया भत्ता	12,00,000	3,00,000	4,00,000	0	19,00,000
4	परिवहन भत्ता	1,00,000	0	0	0	1,00,000
5	चिकित्सा भत्ता	2,00,000	80,000	1,00,000	0	3,80,000
6	अन्य भत्ता	20,000	15,000	10,000	0	45,000
8	यात्रा व्यय	50,000	0	60,000	60,000	1,70,000
9	कार्यालय व्यय	0	0	1,00,000	4,00,000	5,00,000
10	वा0 का ई0 एवं रख-रखाव	15,00,000	0	2,00,000	5,00,000	22,00,000
11	दूरभाष व्यय	1,50,000	0	30,000	0	1,80,000
12	विद्युत प्रभार	1,00,000	0	30,000	0	1,30,000
13	बंदी / पोशाक	50,000	0	0	0	50,000
14	किराया, महसूल कर	28,000	0	0	0	28,000
15	प्रकाशन एवं मुद्रण	50,000	0	0	0	50,000
कुल योग-		92,48,000	47,45,000	96,30,000	9,60,000	245,83,000

(दो करोड़ पैतालीस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

कृ०प००३०


6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2018 सा0-.....40...../ पटना, दिनांक- 23.10/2018
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा), सहरसा, बांका एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/10/18
सरकार के उप सचिव